संख्या- 36/2017/1605/38-4-17-19(बजट)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2017**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1253/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017-18 दिनांक- 22.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या J-12036/02/2016-RH(A/C)-3/A-Uttar Pradesh दिनांक 21.11.2017 द्वारा प्रधानमत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष एस0सी0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में अवमुक्त प्रथम किश्त के केन्द्रांश की धनराशि रू0 71431.512 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु एस0सी0पी0 मद में प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 71431.512 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के **आदेश संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र दिनांक 05.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा** बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सर्फेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेयजल योजना में वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि **रू0 58800.00 लाख (रूपये पांच सौ अट्ठासी करोड़ मात्र)** पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(10)स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-: यथोक्त।</u>

भवदीय,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-36/2017/1605(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/5/विशेष कार्याधिकारी (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-83-समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

वित्तीय वर्ष 2017-18 **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनयोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ 0102- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सर्फेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेजयल योजना (के.100/रा.0के) 24 व़हत् निर्माण कार्य	58800.00	58800.00	58800.00	58800.00	0.00
योग	58800.00	58800.00	58800.00	58800.00	0.00
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखा शीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 03-ग्रामीण आवास 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएँ 0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) (के.60/ रा.40-के.) 24 वृहत् निर्माण कार्य	99000.00	157800.00	58800.00	58800.00	157800.00
योग	99000.00	157800.00	58800.00	58800.00	157800.00

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण-केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(3 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में आवश्यकता के सापेक्ष बजट उपलब्ध न होने के कारण ।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आर0ई0-109/दस-2017, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0 इलाहाबाद।

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः /38-4-2017-19(बजट)/2015, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4 ।
8. समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/5
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in